न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 41/2024
3. उनवान :
   1. सागरमल पुत्र धन्ना
   2. मोहन लाल पुत्र धन्ना
   3. भींवाराम पुत्र धन्ना
   4. संज्या देवी पुत्री धन्ना
   5. ग्यारसी देवी पुत्री धन्ना
   6. हरदेव पुत्र पन्ना
   7. लक्ष्मणराम पुत्र पन्ना
   8. पेमाराम पुत्र पन्ना
   9. भंवरी देवी पुत्री पन्ना
   10. लछमा देवी पुत्री पन्ना
   11. राधा देवी पत्नी भगवान सहाय
   12. बीरबल पुत्र भगवाना उर्फ भगवान सहाय
   13. तीजा देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
   14. गोपाली देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
   15. मंजू देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
   16. सुनीता देवी पुत्री भगवाना उर्फ भगवान सहाय
   17. चन्द्री बेवा रुघा

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गदडी तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   –अपीलान्ट्स

   बनाम

   राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   –रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 23/6/25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी एवं श्री गोपाल लाल बाना अपीलांट की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश की गई हैं कि राजस्व ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 282/2 जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2057 से 2060 में अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज रही। जिसके मूल खसरा नंबर 282/2 थे, जो संवत 2008 से 2029 की खतौनी बन्दोबस्त में कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी अहतमाम पुजारी हनुमान दास पुत्र गुलजी मिश्र दर्ज हैं तथा कॉलम नम्बर 5 में डूंगा वल्द भूरा जाट दर्ज है जो मौके पर निरन्तर काबिज काश्त रहे। डूंगा वल्द भूरा जाट के फौत होने पर विरासत से धन्ना, पन्ना, भगवाना, रुघा पिता डूंगा दर्ज रही, जो निरन्तर काबिज काश्त रहे, जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर ने क्षेत्राधिकार

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 28/7/2004 को माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 449 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावें।

अपील के संलग्न अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम अपीलाधीन, नामान्तकरण संख्या 449 दि0 28/07/2004, जमाबन्दी संवत 2008–2029, 2032–2064, 2073–2076 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2033–2036 व 2080 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्र क्रमांक 5693 दिनांक 06/12/2024 द्वारा जवाब अपील पेश किया जिसमें अंकित है कि ग्राम गदडी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 9 आराजी खसरा नं0 282/2 रकबा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहर जी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी जाति ब्राह्मण मिश्र सा0 बाय व कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भुरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था। नामा. संख्या 449 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 282/2 की खातेदारी सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/4, पन्ना, भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह दर्ज थी। नामां. संख्या 449 के द्वारा सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना वगै० सा. देह हिस्सा 1/4 पन्ना भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2, चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी स्वीकार हुआ। मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में खसरा नं० 282/2 में डूंगा पुत्र भुरा कौम जाट दर्ज था।

उक्त के संलग्न रेस्पोडेन्ट द्वारा मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29, जमाबन्दी संवत 2061–64 एवं नामान्तकरण संख्या 449 की प्रति प्रेषित की है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम गदडी के अपीलाधीन खसरा नंबर 282/2 कॉलम नम्बर 3 में माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी अहतमाम पुजारी हनुमान दास पुत्र गुलजी मिश्र दर्ज हैं तथा कॉलम नम्बर 5 में डूंगा वल्द भूरा जाट दर्ज है जो मौके पर निरन्तर काबिज काश्त रहे। डूंगा वल्द भूरा जाट के फौत होने पर विरासत से धन्ना, पन्ना, भगवाना, रुघा पिता डूंगा दर्ज रही, जो निरन्तर बहिस्सा 1/4–1/4 हिस्से पर काबिज रहे। उपरोक्त के फौत होने पर अपीलांट संख्या 1 लगा0 5 धन्ना के वारिस, अपीलांट संख्या 6 लगा0 10 पन्ना के वारिस, अपीलांट संख्या 11 लगा0 16 भगवाना के वारिस, अपीलांट संख्या 17 रुघा के वारिस निरन्तर काबिज काश्त रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तथा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण 449 दिनांक 28/7/2004 तस्दीक किया है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 282/2 जो

जागीर रिजम्पशन एक्ट धारा 9 के तहत डूंगा वल्द भूरा के नाम दर्ज की गई। मिसल बंदोबसत संवत 2008 से 2029 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भूरा दर्ज हैं। इसके उपरान्त राजस्व जमाबन्दी रिकार्ड में डूंगा वल्द भूरा व उनके पश्चात अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही। उक्त वर्णित आराजीयात कभी भी माफी मन्दिर की खातेदारी में दर्ज नही रही। माफी रिज्यूम हो जाने से उपभोक्ता के कॉलम से मन्दिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित डूंगा वल्द भूरा के नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मन्दिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित डूंगा वल्द भूरा को माफी रिज्मपशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिजम्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जमीदार अथवा जागीरदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी, वो ही भूमियों उनकी खातेदारी में अंकित की गई। परन्तु यहां पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह डूंगा वल्द भूरा व इसके उपरान्त उसके वारिसान एवं उनके बाद अपीलान्ट का नाम कृषक के रूप में लिखा हुआ था। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24/5/2007 एवं उसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06/01/2010 अनुसार उक्त निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं। राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती हैं और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता, तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता। जो भूमियां राजस्व अभिलेखों में खुदकाश्त की दर्ज रही थी, वे समस्त भूमियां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। जब अपीलान्ट से पूर्वाधिकारी भूमि के काश्तकार थे तो पश्चातवर्ती इन्द्राज को गलत नही माना जा सकता। खुदकाश्त भूमि धारा 2(1) अनुसार जिस व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप में काश्त की जाती है "End cultivated personalnty" व खुदकाश्त मानी जावेगी। जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव में आने के समय जो कृषक खेती कर रहे थे वे इस भूमि के खातेदार हो गये एवं माफी रिज्यूमशन के साथ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई। इस प्रकारण में भूमि का स्वामी राजस्थान सरकार हो गई एवं कृषक के कॉलम में अंकित अपीलान्ट से पूर्व के पूर्वधिकारी खातेदार हो गये। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/5/2007 में निर्देश है कि गलत ढंग से कृषको का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरुद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। नामान्तकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग होती हैं, जो मात्र राजस्व लगान वसूल करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी के हक व अधिकार तय नहीं होते हैं, को नजरअन्दाज करते हुये अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारो की कृषि भूमि से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर महरूम कर दिया, जो क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण प्रारंभतः ही प्रभावहीन है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 13/12/1991 में किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को माफी मन्दिर के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नही हैं। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25/11/2011 में दिनांक 13/12/1991 को जारी पत्र के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों ने मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि में लिखे पुजारी अथवा सेवायतो के नाम हटा देने के साथ–साथ उन कृषको के खातेदारी अंकन को विलोपित कर दिया, जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोदभूत हुये थे। अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के गरीब अक्षिशित व्यक्ति हैं। जिन्होंने

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

उक्त आराजीयात के रिकार्ड बाबत् हल्का पटवारी से दिनांक 12/9/2024 को राजस्व जमाबन्दी लेने पर राजस्व जमाबन्दी में उनके नाम के स्थान पर माफी मन्दिर मनोहर जी सा.देह का नाम दर्ज होने का तथ्य जाहिर हुआ। जिस पर अपीलान्ट द्वारा प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई। मूल रूप से शून्य व प्रभावहीन आदेश अपील के प्रकरण में मियाद सीमा लागू नहीं है तथा ऐसे प्रकरणों में मियाद का बिन्दू का प्रश्न नहीं देखा जाता जहां गैरकानूनी तरीको से वास्तविक हकदार व्यक्ति को उसके हक व अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व विधिक प्रक्रिया व प्रावधानो का उल्लघंन हुआ, जो उक्त प्रकरण में हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 449 आदेश दिनांक 28/7/2004 को अपास्त किया जावे।

सुयोग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 374, आर.[illegible] 2004 (1) पेज 238, आर.आर.टी 2005 (1) पेज 228, आर.आर.टी. 2002(1) पेज [illegible] आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1041, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2006-07 पेज 4.. के न्यायिक दृष्टांतों का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि मिसल बन्दोबस्त संवत 2008-29 में खाता संख्या 9 आराजी खसरा नं0 282/2 रकबा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी जाति ब्राह्मण मिश्र सा0 बाय व कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भुरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था। नामा. संख्या 449 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 282/2 की खातेदारी सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/4, पन्ना, भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह दर्ज थी। नामां. संख्या 449 के द्वारा सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना वगै० सा. देह हिस्सा 1/4 पन्ना भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2, चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी स्वीकार हुआ। मिसल बन्दोबस्त संवत 2008-29 में कृषक के कॉलम संख्या 5 में खसरा नं० 282/2 में डूंगा पुत्र भुरा कौम जाट दर्ज था। उक्त नामान्तरण मुताबिक आदेश देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर तथा परिपत्र क्रमांक (4)राज-4/90/37 जयपुर व दिनांक 13/07/91 उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर एवं उपतहसील रेनवाल क्रमांक/मू0अ0/04/221 दिनांक 19/07/04 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर धारा 5 के प्रार्थना पत्र के लिए न्यायालय का मत है "अपील विलम्ब से पेश करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय न्यायालय को विलम्ब के कारणों पर निर्णय करने के साथ उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहाँ प्रथम दृष्ट्या किसी पक्षकार के हितों के लिए उसे अवसर दिया जाना न्यायोचित हो, वहाँ विलम्ब के कारणों पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पक्षकार को अपना पक्ष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर देना न्यायसंगत है।"

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

इसलिए विलम्ब के बिन्दु पर अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

हस्तगत अपील तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 449 दिनांक 28/7/2004 के विरूद्ध विचाराधीन है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि ग्राम गदडी, तहसील किशनगढ रेनवाल की अपीलाधीन भूमि हाल खसरा नम्बर 282/2 अपीलान्ट के पूर्वजों के नाम दर्ज रही जिसे अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 449 द्वारा माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पत्रावली में प्रेषित जवाब दिनांक 06/12/2024 में अंकित है कि "मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 में खाता संख्या 9 आराजी खसरा नं0 282/2 रकबा 15 बिस्वा के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी व अहतमाम पुजारी हनुमानदास पु० गुलजी जाति ब्राह्मण मिश्र सा0 बाय व कॉलम संख्या 5 में डूंगा वल्द भूरा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज था। नामा. संख्या 449 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 282/2 की खातेदारी सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/4, पन्ना, भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह दर्ज थी। नामां. संख्या 449 के द्वारा सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना वगै० सा. देह हिस्सा 1/4 पन्ना, भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2, चन्द्री बेवा रुघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह के बजाय माफी मंदिर श्री मुरलीमनोहरजी स्वीकार हुआ।"

उक्त जवाब के संलग्न मिसल बन्दोबस्त संवत 2008–29 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में "माफी मन्दिर श्री मुरली मनोहर जी अहतमाम पुजारी हनुमान दास पुत्र गुलजी मिश्र" तथा कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में "डूंगा वल्द भूरा जाट सा0 देह खातेदार" दर्ज है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032–2064 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2013–2016 के काश्तकार के कॉलम में धन्ना, पन्ना, भगवाना, रूघा पि. डूंगा जाट का नाम अंकित है। नामा. संख्या 449 के स्वीकृत होने के पूर्व आराजी खसरा नं0 282/2 की खातेदारी सागरमल, मोहनलाल, भीवाराम पि० धन्ना, सोनी बेवा धन्ना कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/4, पन्ना, भगवाना पि० डूंगा कोम जाट सा. देह हिस्सा 1/2 चन्द्री बेवा रूघा हिस्सा 1/4 कोम जाट सा. देह दर्ज थी।

इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नहीं थी तथा डूंगा की काश्तकारी भूमि थी। जो विरासतन अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। उपरोक्त आराजी जमाबंदी संवत 2061 में अपीलांट के पूर्वजों के नाम दर्ज थी। न्यायिक नजीर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार इस प्रकरण पर चस्पा होता है जिसमें निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप में प्रदत्त जागीर की भूमि, जिसमें मंदिर खुदकाश्त नहीं है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक आदेश देवस्थान विभाग के आदेश क्रमांक प.12(22)देव/91 जयपुर तथा परिपत्र क्रमांक (4)राज–4/90/37 जयपुर व दिनांक 13/07/91 उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान जयपुर एवं

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

उपतहसील रेनवाल क्रमांक/भू0अ0/04/221 दिनांक 19/07/04 की पालना में अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 449 स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प.2 (4)राज/4/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.91 के किसी भी बिन्दु में खातेदार काश्तकार का नाम विलोपित कर भूमि को मन्दिर माफी के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प 3(2) राज-6/07/19 दिनांक 25-11-11 में दिनांक 13.12.91 को जारी पत्र क्रमांक प 2(4) राज-4/98/37 के बारे में स्पष्ट किया गया है कि यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थी परन्तु भू0 प्रबंध अधिकारियों/राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मन्दिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत वैध रुप से खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रुप से गलत तथा परिपत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विरुद्ध की गई थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31.12.91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नही था। इस प्रकार पत्र दिनांक 31/12/91 की मंशा के विपरीत वैध काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था। साथ ही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 में यह व्यवस्था दी गई है कि जागीरी के अधिकरण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा कादीमदार आदि के नाम से दर्ज थी, उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेंगे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश नामान्तरण संख्या 449 दिनांक 28/7/2004 सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है तथा खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 449 आदेश दिनांक 28/7/2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाकर तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को विरासत अनुसार खातेदारी राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कमल बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर